

25.08.2022:-पत्रावली पेशी मे आई। वकील प्रार्थी उपस्थित नही आये। प्रार्थी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। अवाज लगाने के उपरान्त भी असातन/वकालतन उपस्थित नही आये। प्रार्थी व उसके अधिवक्ता के उपस्थित नही आने के कारण प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अदम पैरवी /अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

